न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/64/2023

दिनेश चन्द पुत्र बृजमोहन निवासी नारौली तहसील बयाना जिला भरतपुर ..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 01.11.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट दिनेश चन्द पुत्र बृजमोहन निवासी नारौली तहसील बयाना जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 731 दिनांक 06.10.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। अति0 जिला कलक्टर (प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग) कलै0 भरतपुर के पत्रांक न्याय/आर.टी.आई./अपील/2023/301 दिनांक 10.10.2023 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया है कि वॉछित सूचना उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्रांक न्याय/आरटीआई/2023/240 दिनांक 07.08.2023 से उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर को

आरटीआई / अपील / 2023 / 64
दिनेश चन्द बनाम अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर

तत्समय ही प्रेषित कर दिया गया था एवं प्रार्थी को भी पत्रांक न्याय/आरटीआई/2023/241–242 दिनांक 7.8.23 से सूचित कर दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) अपीलान्ट को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर